

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
 प्रकरण क्रमांक 1619/2014
 संस्थापित दिनांक 06/12/2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
 मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. वासुदेव भदौरिया पुत्र विजय सिंह भदौरिया उम्र 32 वर्ष
 निवासी- पिडोरा थाना बरोही जिला भिण्ड

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा- 304ए भा.द.सं)
 (राज्य द्वारा एडीपीओ- श्रीमती हेमलता आर्य)
 (आरोपी द्वारा अधिवक्ता- श्री दाताराम बंसल)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 26.03.18 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 12.10.2014 को शाम 04:00 बजे सुंदरनाथ मंदिर वाली खदान ग्राम झांकरी में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टैक्टर क्र0 एम0पी0 06 ए0ए0 9144 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए उक्त टैक्टर से पवन को टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा.द.सं. की धारा 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2014 को ग्राम झांकरी के चौकीदार सूरतराम ने शाम 4 बजे सुन्दरनाथ मंदिर वाली खदान की तरफ लोगों को भागते हुए देखा था, वह भी खदान पर पहुंचा था तो उसने देखा था कि खदान के गड्ढे में एक टैक्टर उल्टा पड़ा था व एक व्यक्ति उसके नीचे दबा था, लोगों ने मिलकर टैक्टर को सीधा किया था एवं नीचे दबे घायल व्यक्ति को निकाला था, मौके पर मौजूद लोगों ने उसका नाम पवन ग्राम इटायदा का होना बताया था। फिर इटायदा के लोग आये थे और एक मार्शल जीप से पवन को इलाज के लिए ले गये थे, रास्ते में ही पवन की मृत्यु हो गई थी। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में मर्ग क्र0 0/14 पर देहाती नालसी दर्ज कराई गई थी, तत्पश्चात् पुलिस थाना मौ में असल मर्ग क्र0 37/14 लेखबद्ध की गई थी, उक्त मर्ग की जांच की गई थी, जांच के दौरान मृतक पवन के परिवारजन, पत्नि सर्वेश, मां रेखा एवं पिता मुन्नालाल के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं उक्त साक्षीगण ने अपने कथनों में टैक्टर क्र0 एम0पी0 06 ए0ए0 9144 के चालक वासुदेव द्वारा टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए टैक्टर पलटने एवं टैक्टर से दबने से पवन की मृत्यु होना बताया था। उक्त आधार पर पुलिस थाना मौ में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र0 384/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 12.10.2014 को शाम 04:00 बजे सुन्दरनाथ मंदिर वाली खदान ग्राम झांकरी में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टैक्टर क्र० एम०पी० 06 ए०ए० 9144 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए टैक्टर को पलटकर मृतक पवन को चोट पहुंचा कर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से सूरतराम अ०सा० 1, मुन्नालाल अ०सा० 2, सर्वेश अ०सा० 3, श्रीमती रेखा अ०सा० 4, बलवीर सिंह अ०सा० 5, करतार सिंह अ०सा० 6, आरक्षक केशव सिंह अ०सा० 7, डॉ० आर० विमलेश अ०सा० 8 एवं पुष्पेन्द्र सिंह अ०सा० 9 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी सूरतराम अ०सा० 1 जिसके द्वारा प्र०पी० 1 की देहाती नालसी लेखबद्ध कराई गई है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे घटना के बारे में याद नहीं है, वह मृतक पवन को नहीं जानता है। प्र०पी० 1 की देहाती नालसी के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके न्यायालयीन कथन के लगभग दो साल पहले खदान में एक टैक्टर उल्टा पड़ा था और लोगों ने उसके सामने टैक्टर को सीधा करके दबे हुए व्यक्ति को निकाला था। उक्त साक्षी ने प्र०पी० 1 की देहाती नालसी लिखाने से भी इंकार किया है।

8. साक्षी मुन्नालाल अ०सा० 2 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी वासुदेव को पहले से नहीं जानता था, घटना के बाद से नाम से जानता है, आरोपी कोर्ट में आ रहा है तो वह शकल से भी जानता है। घटना दसवें महीने बारह तारीख वर्ष 2014 की है। उसे सूचना मिली थी कि उसके लड़के पवन का सुन्दरनाथ की पहाड़िया पर एक्सीडेंट हो गया है। घटना की सूचना से वह मौके पर पहुंचा था तो उसने देखा था कि टैक्टर दूर खड़ा था, उसके बच्चे को लोग रोड़ पर लिटाये हुए थे। टैक्टर का नम्बर ए०ए० 9144 सोनालिका था। उसके बाद वह अपने लड़के को लेकर ग्वालियर के लिए रवाना हुआ था तो रास्ते में उसका बच्चा खत्म हो गया था। उसे बताया गया था कि उसका लड़का झांकरी से पैदल आ रहा था तो टैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी थी बाद में पता चला था कि टैक्टर को वासुदेव भदौरिया चला रहा था, उसे पता नहीं चला था कि वासुदेव टैक्टर को कैसे चला रहा था उसे बताया था कि वासुदेव ने टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी थी। सफीना फॉर्म प्र०पी० 2 एवं नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था एवं उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने टैक्टर का नम्बर नहीं देखा था उसे लोगों ने बताया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मौके पर ड्राइवर को नहीं देखा था।

9. साक्षी सर्वेश अ०सा० 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसकी सास रेखा बाई, ससुर मुन्नालाल एवं देवर आशीष ने उसे बताया था कि उसके पति के उपर भदौरिया में टैक्टर चढ़ा दिया है जिससे उसके पति की मृत्यु हो गई है। श्रीमती रेखा अ०सा० 4 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे उसके पति ने मोबाईल पर उसके बच्चे पवन के एक्सीडेंट होने के सूचना दी थी। उसे नहीं पता था कि टैक्टर कौन चला

रहा था। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त टैक्टर को वासुदेव भदौरिया घटना दिनांक को चला रहा था एवं वासुदेव भदौरिया ने टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया था जिससे पवन की मृत्यु हो गई थी।

10. साक्षी बलवीर सिंह अ0सा0 5 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि पुष्पेन्द्र चौखटी वाले का टैक्टर पलट गया था जिससे गांव का बच्चा खत्म हो गया था, पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जबीपंचनामा प्र0पी0 5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जब टैक्टर पलटा था उस समय टैक्टर को वासुदेव भदौरिया चला रहा था, टैक्टर चलाकर वासुदेव भदौरिया ने पलट दिया था जिससे पवन दब कर मर गया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से टैक्टर जप्त किया था एवं आरोपी को गिरफ्तार किया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी थी और न ही वासुदेव को देखा था और न ही उसे पहचानता है।

11. साक्षी करतार सिंह अ0सा0 6 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं उसके सामने कोई घटना घटित न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि पवन कड़ेरे की टैक्टर पलटने से मृत्यु हुई थी।

12. साक्षी पुष्पेन्द्र सिंह अ0सा0 9 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी वासुदेव को जानता है वह उसका टैक्टर चलाता है, टैक्टर का नम्बर एम0पी0 06 ए0ए0 9144 था, उसके टैक्टर से सन् 2014 में एक्सीडेंट हुआ था जिसकी सूचना उसे वासुदेव ने दी थी। उसने थाने से अपना टैक्टर मय कागज सुपुर्दगी पर लिया था जो प्र0पी0 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना की तारीख नहीं पता है और न ही वह घटनास्थल पर कभी भी गया है, पुलिस ने उससे कभी पूछताछ नहीं की, उसने पुलिस को प्र0डी0 3 का कथन नहीं दिया।

13. आरक्षक केशव सिंह अ0सा0 7 ने आरोपित टैक्टर की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी0 7 को प्रमाणित किया है एवं डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 8 ने मृतक पवन की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 8 को प्रमाणित किया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या घटना दिनांक 12.10.2013 को पवन की मृत्यु हुई थी। उक्त संबंध में डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 8 जिसके द्वारा मृतक पवन का शव परीक्षण किया गया है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 13.10.2014 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में सैनिक आशाराम द्वारा लाये जाने पर मृतक पवन का शव परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने पाया था कि मृतक की मौत फेफड़े एवं लीवर के फटने से उत्पन्न रक्त स्राव से उत्पन्न सदमे से हुई थी एवं उसके शव परीक्षण के पूर्व 24 घंटे के अंदर की थी, उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. साक्षी मुन्नालाल अ0सा0 2, सर्वेश अ0सा0 3 एवं रेखा अ0सा0 4 ने भी घटना दिनांक को पवन की मृत्यु होना बताया है उक्त सभी साक्षीगण का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान पवन की मृत्यु घटना दिनांक को होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। उक्त बिन्दु पर साक्षीगण के कथन का समर्थन डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 8 द्वारा भी किया गया है आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फलतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि मृतक पवन की मृत्यु घटना दिनांक को हुई थी।

17. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी वासुदेव ने आरोपित टैक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर टैक्टर को पलटकर पवन की मृत्यु कारित की थी ? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में घटना के किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षी सूरतराम अ०सा० 1 जिसके द्वारा प्र०पी० 1 की देहाती नालसी लेखबद्ध कराई गई है, ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है, उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

18. साक्षी मुन्नालाल अ०सा० 2 भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे उसके लड़के पवन के एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, तो वह मौके पर पहुंचा था उसने देखा था कि टैक्टर दूर खड़ा था टैक्टर का नम्बर ए०ए० 9144 सोनालिका था, उसे यह बताया था कि टैक्टर ने उसके लड़के को टक्कर मार दी थी एवं उसे बाद में पता चला था कि टैक्टर को वासुदेव भदौरिया चला रहा था एवं उसे यह भी बताया गया था कि वासुदेव ने टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ था उसने टैक्टर का नम्बर नहीं देखा था उसे लोगों ने नम्बर बताया था उसने मौके पर चालक को भी नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी मुन्नालाल अ०सा० 2 के कथनों से यह दर्शित है कि मुन्नालाल घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है एवं उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था और न ही उसने मौके पर चालक को देखा था। यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में टैक्टर का नम्बर ए०ए० 9144 बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने स्वयं टैक्टर का नम्बर नहीं देखा था उसे टैक्टर का नम्बर लोगों ने बताया था। इस प्रकार मुन्नालाल अ०सा० 2 के कथनों से दर्शित है कि उसने स्वयं टैक्टर का नम्बर नहीं देखा था उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे टैक्टर का नम्बर किन लोगों ने बताया था उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, उक्त साक्षी द्वारा एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

19. साक्षी सर्वेश अ०सा० 3 एवं रेखा अ०सा० 4 के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण भी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, उन्हें घटना की सूचना मिली थी। सर्वेश अ०सा० 3 को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर सर्वेश अ०सा० 3 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसे बाद में यह पता चला था कि टैक्टर को वासुदेव भदौरिया चला रहा था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने मौके पर घटना नहीं देखी थी। साक्षी रेखा अ०सा० 4 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे पता नहीं है कि टैक्टर को कौन चला रहा था, उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वासुदेव भदौरिया ने टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया था, जिससे उसका लड़का दब गया था।

20. इस प्रकार साक्षी सर्वेश अ०सा० 3 एवं रेखा अ०सा० 4 के कथनों से दर्शित है कि उक्त साक्षी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षीगण ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। यद्यपि उक्त साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाले टैक्टर को वासुदेव चला रहा था एवं वासुदेव टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चला रहा था परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें उक्त तथ्य की जानकारी किस प्रकार हुई थी। उक्त साक्षीगण द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि उन्हें वासुदेव द्वारा टैक्टर तेजी व लापरवाही से चलाने वाली बात किस व्यक्ति ने बताई थी ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर उक्त साक्षीगण के कथन भी विश्वास योग्य नहीं है एवं उक्त साक्षीगण के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित टैक्टर के पलटने से पवन की मृत्यु हुई थी एवं यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपित टैक्टर को आरोपी वासुदेव चला रहा था।

21. साक्षी बलवीर अ०सा० 5 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में वासुदेव भदौरिया द्वारा टैक्टर को चलाते हुए टैक्टर पलट देना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है

कि उसने घटना नहीं देखी थी और न ही उसने वासुदेव को देखा था। इस प्रकार बलवीर सिंह अ0सा0 5 के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है एवं उक्त साक्षी ने भी घटना कारित होते हुए नहीं देखा था। साक्षी करतार सिंह अ0सा0 6 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

22. साक्षी पुष्पेन्द्र सिंह अ0सा0 9 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह आरोपी वासुदेव को जानता है आरोपी उसका टैक्टर चलाता है जिसका नम्बर एम0पी0 06 ए0ए0 9144 है, उसके टैक्टर से सन् 2014 में एक्सीडेंट हुआ था जिसकी सूचना उसे वासुदेव ने दी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना की तारीख नहीं पता है, पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी, उसने पुलिस को प्र0डी0 3 का कथन नहीं दिया था। उसे ध्यान नहीं है कि वासुदेव ने उसे सूचना किस प्रकार दी थी।

23. इस प्रकार साक्षी पुष्पेन्द्र सिंह अ0सा0 9 जो कि आरोपित टैक्टर का स्वामी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी उसका टैक्टर क्र0 एम0पी0 06 ए0ए0 9144 चलाता है तथा उसके टैक्टर से सन् 2014 में एक्सीडेंट हुआ था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे घटना की तारीख नहीं पता है उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया है। इस प्रकार साक्षी पुष्पेन्द्र सिंह अ0सा0 9 के कथनों से दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी द्वारा प्र0.डी0 3 का पुलिस कथन भी पुलिस को देने से इंकार किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा साक्षी पुष्पेन्द्र का प्रमाणीकरण नहीं लिया गया है एवं प्र0डी0 3 का पुलिस कथन देने से पुष्पेन्द्र अ0सा0 9 द्वारा इंकार किया गया है। साक्षी पुष्पेन्द्र अ0सा0 9 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी वासुदेव उसका टैक्टर चलाता है परन्तु उक्त टैक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि घटना दिनांक को उसके टैक्टर क्र0 एम0पी0 06 ए0ए0 9144 को आरोपी वासुदेव चला रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वर्ष 2014 में उसके टैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उक्त साक्षी द्वारा घटना की तारीख नहीं बताई गई है।

24. यद्यपि साक्षी पुष्पेन्द्र सिंह अ0सा0 9 के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं एवं उक्त साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि घटना दिनांक को आरोपित टैक्टर को आरोपी वासुदेव चला रहा था परन्तु यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि घटना दिनांक को टैक्टर क्र0 एम0पी0 06 ए0ए0 9144 को आरोपी वासुदेव चला रहा था तो प्रश्न यह उठता है कि क्या पवन की मृत्यु आरोपित टैक्टर क्र0 एम0पी0 06 ए0ए0 9144 से दबने से हुई थी एवं क्या आरोपित टैक्टर को आरोपी वासुदेव उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चला रहा था। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा ऐसे किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने स्वयं एक्सीडेंट होते हुए देखा हो। साक्षी सूरतराम अ0सा0 1, मुन्नालाल अ0सा0 2, सर्वेश अ0सा0 3, रेखा अ0सा0 4 एवं बलवीर सिंह अ0सा0 5 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं, उक्त साक्षीगण ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा है। साक्षी मुन्नालाल अ0सा0 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में टैक्टर का नम्बर ए0ए0 9144 बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने टैक्टर का नम्बर स्वयं नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा ऐसे किसी भी साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने आरोपित टैक्टर क्र0 एम0पी0 06 ए0ए0 9144 से दुर्घटना कारित होते हुए देखा हो एवं टैक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलते हुए देखा हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार टैक्टर सुन्दरनाथ की खदान पर पलट गया था परन्तु जब्ती पंचनामे के अनुसार टैक्टर दिनांक 20.11.2014 को चौकी झांकरी में जप्त किया गया था, इस प्रकार टैक्टर घटनास्थल से भी जप्त नहीं किया गया है, मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी0 7 के अनुसार टैक्टर में कोई टूट फूट होना भी दर्शित नहीं है। अभियोजन द्वारा ऐसे किसी भी साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने स्वयं आरोपित टैक्टर से एक्सीडेंट होते हुए देखा हो, ऐसी स्थिति में यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आरोपित टैक्टर को आरोपी वासुदेव चलाता था तो भी प्रकरण में आई साक्ष्य ये यह दर्शित

नहीं है कि मृतक पवन का एक्सीडेंट टैक्टर क्र० एम०पी० ०६ ए०ए० ९१४४ से हुआ था एवं यह भी दर्शित नहीं होता है कि आरोपित टैक्टर को आरोपी उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चला रहा था। भा०द०सं० की धारा ३०४-ए को प्रमाणित होने के लिए यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि आरोपित वाहन उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चला रहा हो। अभियोजन द्वारा ऐसे किसी भी साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने उपेक्षा अथवा उतावलेपन से टैक्टर को चलते हुए देखा हो। प्रकरण के सभी साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं, ऐसी स्थिति में साक्षी पुष्पेन्द्र अ०सा० ९ के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

25. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में साक्षी सूरतराम अ०सा० १, मुन्नालाल अ०सा० २, सर्वेश अ०सा० ३, रेखा अ०सा० ४, बलवीर सिंह अ०सा० ५, करतार सिंह अ०सा० ६ द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है, पुष्पेन्द्र सिंह अ०सा० ९ के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। शेष साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। अभियोजन द्वारा प्रकरण में ऐसे किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने वाहन दुर्घटना कारित होते हुए देखी हो ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

26. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे, यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

27. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक १२.१०.२०१४ को शाम ०४:०० बजे सुंदरनाथ मंदिर वाली खदान ग्राम झांकरी में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टैक्टर क्र० एम०पी० ०६ ए०ए० ९१४४ को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए उक्त टैक्टर से पवन को टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी वासुदेव भदौरिया को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा ३०४ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

29. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

30. प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर क्र० एम०पी० ०६ ए०ए० ९१४४ पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – २६.०३.१८

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)